विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-15/16

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, — आवेदक
आ. श्री प्रहलाद प्रसाद शर्मा,
निवासी–ग्राम प्रतापपुरा परगना,
अटेर जिला–भिण्ड (म.प्र.)

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.), संभाग, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भिण्ड (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 07.11.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक जी.टी. 038/2016 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विरूद्ध उपमहाप्रबंधक (सं./सं.), संभाग, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भिण्ड में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–15/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण की दिनांक 04.11.2016 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री रमेश ढोके एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा एवं श्री आर.डी. साहू, सहायक यंत्री उपस्थित हुए।

04 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा अगस्त 2006 से सुविधा योजना लागू की थी, जिसके विकल्प 'अ' के अनुसार संपूर्ण बाकाया राशि का भुगतान करने पर अधिभार की राशि को माफ किया जाना था। आवेदक द्वारा दिनांक 29.11.2006 एवं 30.11.2006 को दो किश्तों मे क्रमशः 1,00,000/– रूपये एवं 27,000/– रूपये कुल 1,27,000/– जमा किये तथा उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें अधिभार की राशि रूपये 1,02,261/– की छूट दी जानी थी जिसका कि समायोजन अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा अगले विद्युत देयकों में नहीं दिया गया। अतः उनके द्वारा अगले मासिक विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया।

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा रूपये 1,27,000/– का भुगतान करने के बाद भी अनावेदक द्वारा मार्च 2007 में ट्रांसफार्मर जिससे कि उन्हें विद्युत प्रदाय किया जाता था, निकाल लिया गया । आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में ग्वालियर में अनावेदक द्वारा सुविधा योजना का लाभ नहीं देने पर एक याचिका क्रमांक 5043/2007 लगाई गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2007 को इस

याचिका पर आवेदक से अगले निर्णय तक विद्युत की रिकवरी न करने एवं विद्युत कनेक्शन विच्छेदित न करने पर स्थगन आदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.7.2015 को उक्त याचिका के संबंध में निर्णय दिया गया कि वे अपने प्रकरण के निराकरण हेतु विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रकरण प्रस्तुत करें तथा दिनांक 29.10.2007 के अंतरिम स्थगन आदेश को फोरम द्वारा दिये जाने वाले आदेश तक प्रभावी रहने का आदेश दिया।

06 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू सुविधा योजना की प्रति (ओई–2) जो अगस्त 2006 से 30 नवंबर 2006 तक प्रभावशील थी, प्रस्तुत की । जिसके विकल्प 'अ' के अनुसार यदि उपभोक्ता संपूर्ण बकाया राशि (सरचार्ज को छोड़कर) का एकमुश्त भुगतान करता है तो उसका अधिभार माफ कर दिया जाएगा।

07 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के विरूद्ध कुल बकाया राशि रूपये 2,71,698/– थी, जिसमें से अधिभार की राशि रूपये 1,02,261/– थी।

08 अनावेदक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 1,69,437/– जमा कराये जाने पर ही रूपये 1,02,261/– के अधिभार की छूट दी जानी थी परन्तु आवेदक द्वारा दिनांक 30.11.2006 तक रूपये 1,27,000/– ही जमा किये। इस प्रकार बकाया राशि रूपये 42,437/– शेष रह गई जिसे जमा कराने के उपरांत ही आवेदक को अधिभार की राशि रूपये 1,02,261/– की छूट दी जा सकती थी। अतः आवेदक द्वारा यह राशि जमा न करने पर कुल बकाया राशि में से रूपये 1,27,000/– का समायोजन करने के पश्चात शेष राशि एवं मासिक बिलों का निरंतर बिल किया जाता रहा। (ओई–3)

09 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान आवेदक द्वारा सुविधा योजना का लाभ लेने हेतु दिये गये पत्र की प्रति (ओई–1) प्रस्तुत की जिसमें कि आवेदक द्वारा यह स्पष्ट लिखा गया था कि उनके विरूद्ध कुल बकाया राशि में से वे 1,00,000/– जमा कराना चाहते हैं तथा शेष राशि का भुगतान वे जनवरी 2007 तक जमा कर देंगे और यदि नहीं करते तो उन्हें सुविधा योजना का लाभ नहीं दिया जाए। (ओई–1)

10 अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध बकाया बिल का प्रतिवेदन दिनांक 1.10.2016 तक की अवधि का प्रस्तुत किया जिसमें कि आवेदक के विरूद्ध 7,39,550/– बकाया है (ओई–4) जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के तहत कनेक्शन विच्छेदित न करने के कारण प्रतिमाह की गई बिलिंग पर आधारित है।

11 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेज के अवलोकन करने पर निम्न तथ्य सम्मुख आये –

अ. अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा सुविधा योजना लागू की गई थी जो अगस्त 2006 से 30 नवंबर 2006 तक प्रभावशील थी।

ब उक्त योजना के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने हेतु निम्नानुसार दो विकल्प उपलब्ध थे। (ओई–2)

(अ) ***यदि उपभोक्ता संपूर्ण बकाया राशि (सरचार्ज छोड़कर) का पूर्ण भुगतान एक मुश्त करता है तो अधिभार राशि माफ कर दी जावेगी।***

(ब) *उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान मासिक किश्तों में कर 75 प्रतिशत अधिभार माफी का लाभ ले सकता है। इस हेतु ग्रामीण चक्की उपभोक्ताओं को बकाया राशि 18 किश्तों में तथा घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक किश्तें निम्नानुसार होंगी ।*

(1) *5 हजार रूपये तक कुल बकाया राशि होने पर बकाया राशि का 10 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में एवं शेष भुगतान 60 रूपये प्रतिमाह की दर से।*

(2) *बकाया राशि 10 हजार रूपये तक होने पर बकाया राशि का 10 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में एवं शेष भुगतान 100 रूपये प्रतिमाह की दर से।*

(3) *बकाया राशि 10 हजार रूपये से ऊपर होने पर पूर्व बकाया राशि का 10 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में एवं शेष 150 रूपये प्रतिमाह की दर से।*

स आवेदक द्वारा उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में दिया था जिसमें कि उनके द्वारा यह सहमति दी थी कि वे कुल बकाया राशि 2,71,698/– के विरूद्ध 1,00,000/– जमा कराना चाहते हैं तथा शेष राशि 5 जनवरी 2007 तक जमा कर देंगे। यदि शेष राशि उनके द्वारा जमा नहीं की जाती है तो उन्हें समाधान योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ न दिये जाएं।

द आवेदक द्वारा संपूर्ण बकाया राशि के विरूद्ध दिनांक 29.11.2006 को रूपये 1,00,000/– तथा दिनांक 30.11.2006 को रूपये 27,000/– कुल रूपये 1,27,000/– जमा कराये।

च आवेदक के विरूद्ध कुल बकायाराशि रूपये 2,71,698/– थी जिसमें से 1,02,261/– रूपये सरचार्ज की राशि थी, जिसकी छूट आवेदक को दी जानी थी । बशर्ते कि आवेदक रूपये 1,69,437/– दिनांक 30.11.2006 तक जमा कर देता। जबकि आवेदक द्वारा दो किश्तों में केवल रूपये 1,27,000/– ही जमा कराये तथा योजना समाप्त होने तक शेष राशि रूपये 42,437/– जमा नहीं कराये गये।

छ आवेदक का यह कहना कि उनके द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन नहीं दिया गया सर्वथा गलत है क्योंकि इसका समायोजन आवेदक को दिसंबर 2006 में दिया गया है परन्तु आवेदक द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें अधिभार की राशि रूपये 1,02,261/– का समायोजन नहीं दिया गया जिसकी पात्रता आवेदक को नहीं थी।

12 उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक द्वारा आवेदक द्वारा सुविधा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधा के तहत संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उन्हें अधिभार की राशि का समायोजन नहीं दिया गया जो कि उचित एवं सुविधा योजना में दिये गये विकल्पों के अनुसार है। अतः

(i) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 20.06.2016 की पुष्टि करते हुए आवेदक का अपील आवेदन खारिज किया जाता है ।

(ii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

13 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल